प्रेषक,

सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक 1136 /विनियम/2016–17 दिनांक 28 जून, 2016

विषय– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2011 (संशोधन–2015) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 835/V–2–2016–127(आ0)/2015–टी0सी0 दिनांक 03 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में भारत सरकार के **Ease of Doing Business** कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियंता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित प्राविधान, भवन निर्माण विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में संशोधनों को लागू किये जाने हेतु यथावश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)
सचिव
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून।

पत्रांक/दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को उक्त की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–यथोक्त।

सचिव
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून।